राष्ट्रीय समस्या–बाल मजदूरी के सामाजिक स्वरूप का विश्लेषणात्मक अध्ययन

*डॉ. अभिजीत भौमिक **श्रीमती सुनिता भौमिक

बाल मजदूरों की समस्या मौजूद है, पर संख्या की दृष्टि से एशिया में बाल मजदूरों की संख्या अफ्रीका के बाद दूसरे नम्बर पर आता है। एक अनुमान के अनुसार 10 से 14 वर्ष तक के बाल मजदूरों की आर्थिक सक्रियता जहाँ बंगलादेश में 30 प्रतिशत, पाकिस्तान में 17.7 प्रतिशत है तो वहीं पर भारत में 14.4 प्रतिशत के आस–पास है। प्रश्न यह उठता है कि बाल श्रमिक हम किसे माने ? अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन समझौता संख्या 138 के अनुसार बाल श्रमिक की न्यूनतम आयु 15 वर्ष है, किन्तु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष तक के बालक–बालिकाओं को हम बाल–श्रमिक मान सकते हैं और इस प्रकार के चाहे निःशुल्क क्यों न हो या वह माता–पिता की सहमति से हो या असहमति से पूर्णतः गैर कानूनी है। बालश्रम अधिनियम 1986 के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के आयु वर्ग की विभिन्न कार्य सूची के आधार पर कार्य करने को प्रतिबंधित किया गया।

बाल मजदूरों की भारत में यथास्थिति :–भारत सरकार के अनुसार आज देश में 2,00,000 बच्चे कोयला खानो, भवन निर्माण, बीड़ी या कालीन निर्माण, होटलों व भवनों में कार्य करते हैं। धर्मयुद्ध पत्रिका में कुछ वर्ष पूर्व किये गये सर्वेक्षण अनुसार माचिस व आतिशबाजी उद्योगों में अनुमानतः 5 से 15 हजार बाल श्रमिक कार्यरत हैं। वहीं मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ में बीड़ी उद्योगों, माचिस उद्योगों व पत्थर के खानों में बच्चे धूल की जानलेवा बिमारी ''सिल्कोसीन'' से पीड़ित है। काश्मीर एवं उत्तरप्रदेश के भदौही, मिर्जापुर के कालीन उद्योगों में 70 हजार से अधिक बाल मजदूर कार्यरत है। युनीसेफ द्वारा जारी रिपोर्ट से स्पष्ट है कि भारत में वेश्यावृत्ति के व्यापार में 70 हजार से 1 लाख बच्चे संलग्न है। भारत में कम से कम 25 हजार बच्चे 6 प्रमुख शहरों दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता, चेन्नई, बैंगलोर और हैदराबाद में देह व्यापार में लिप्त हैं।

बाल श्रम के कारण :–गहराई से यदि विचार किया जाये तो हम पायेंगे कि बाल मजदूरी की समस्या उन परिवारों के बच्चों में अधिक पायेंगे जो कि गरीब है या उनके वयस्क या कमाऊ माता या पिता बिमार है या शारीरिक रूप से असक्षम है। वहीं पर कुछ बाल मजदूरों का मजदूरी करने का कारण यह भी है कि सिर्फ परिवार के एक सदस्य के कमाने से घर नहीं चल पाता। अतः मजबूरीवश उन्हें भी काम पर जाना पड़ता है। शोधा में बाल–मजदूरी का एक भयावह सच यह भी उभर कर आया है कि कुछ गरीब माता–पिता मकान बनाने, बिमारी या शादी ब्याह हेतु सेठ, साहूकारों से कर्ज ले लेते हैं जिसे चुकाने में असमर्थ होने पर अपने बच्चों को भी मजदूरी करने भेज देते हैं।

शोध का उद्देश्य :–बाल्य उम्र वर्तमान की नींव व देश का भविष्य होता है। आज हमारा देश विकासशील की श्रेणी में आता है, जहाँ गरीबी एक विशाल समस्या एवं बेरोजगारी महामारी की तरह फैल रही है। इस विकट समस्या के भँवर जाल में फँस कर यदि एक बालक अपने आज को खो जाता है तो उसका भविष्य खत्म होने में ज्यादा समय नहीं लगता और यही समस्या देश के विकास में अन्य बाधाओं के साथ आ खड़े होती है।

अध्ययन क्षेत्र व शोध विधि :–

सरकारी घोषित ऑकड़ों में तो बाल मजदूरी की वास्तविक स्थिति स्पष्ट नहीं किया गया, किन्तु शोधकर्ता द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर कारखानों, दुकानों, होटलों व घरों तथा बस स्टैण्ड एवं रेलवे स्टेशनों में कई अवयस्क बालक मजदूरी या भीख मांगते देखे हैं। शोधकर्ता द्वारा प्रारंभ में अवलोकन पद्धति के माध्यम से उपरोक्त स्थानों पर यह जानने का प्रयास किया कि कितने बाल मजदूर उक्त स्थानों में कार्यरत है। तत्पश्चात ही ऑकड़े उल्लेख किये जा सके एवं प्रश्नोत्तरी व साक्षात्कार के माध्यम से अनेक तथ्य एकत्रित किये गये।

शोध में आने वाली समस्यायें :–प्रथम तो सरकारी स्तर पर इस सन्दर्भ में स्पष्ट घोषित ऑकड़े तो उपलब्ध नहीं थे, द्वितीय नियोक्ता द्वारा अपने यहाँ कार्यरत बाल मजदूरों की उपस्थिति से पूर्णतः नकारना बड़ी समस्या थी। अन्ततः स्वयं बाल मजदूर भी एक स्थान पर ज्यादा दिनों तक कार्य करते नहीं हैं, वरना घूम–घूम कर कार्य व स्थान बदलते रहते हैं। अतः पूर्णतः यह सिद्ध करता है कि कितने बाल मजदूर किन–किन संस्थानों में और क्या–क्या कार्य करते हैं, कठिन कार्य था। फिर भी शोधकर्ता ने विभिन्न प्रतिष्ठानों से कुल 100 बाल मजदूरों को कार्य करते हुए चुना व साक्षात्कार एवं प्रश्नोत्तरी के माध्यम से विभिन्न जानकारी व समस्यायें एकत्र किये।

बाल मजदूरी के कारण :–

क्र.	कारण	प्रतिशत
1.	आर्थिक तंगी	55
2.	परिवार के वरिष्ठ सदस्य का बिमार होना	22
3.	परिवार का कर्जदार होना	8
4.	बढ़ती महँगाई	10
5.	अशिक्षा	5

यद्यपि उपरोक्त समस्त कारण सभी बाल मजदूरों या उनके परिवारों की एक समान्य समस्या है, किन्तु प्रमुख समस्या के रूप में विभिन्न बाल मजदूरों ने इसे भिन्न–भिन्न माना। उपरोक्त ऑकड़ों से स्पष्ट होता है कि 55 प्रतिशत बाल मजदूर परिवार की आर्थिक तंगी के कारण बाल मजदूरी करने को बाध्य हुए हैं, जबकि 22 प्रतिशत बाल मजदूरों का कहना है कि वे अपने माता–पिता के शारीरिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण घर चलाने हेतु मजदूरी कर रहे हैं। 8 प्रतिशत बाल मजदूर अपने परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के कर्जदार होने व उससे छुटकारा पाने हेतु मजदूरी करते हैं, जबकि सबसे आश्चर्य जनक जानकारी 10 प्रतिशत बाल मजदूरों ने दी कि माता–पिता के द्वारा पर्याप्त आय न होने के कारण बढ़ती महंगाई से तंग होकर वे भी मजदूरी करने लगे हैं, जबकि मात्र 5 प्रतिशत बालक ही यूँ ही अपने पैर में खड़े होने व अपने शौक पूरे करने के कारण बाल मजदूरी करते हैं।

बाल मजदूरी के परिणाम :–उपरोक्त शोध कार्य करते हुए शोधकर्ता को उक्त समस्या के साथ–साथ उसके दुष्परिणाम पर अध्ययन केन्द्रित करना पड़ा, क्योंकि बालक तो देश के

*प्राचार्य, लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय बलौदा जांजगीर

**शोधार्थी

भविष्य होते हैं और इतने कम उम्र में यदि स्वयं का विकास न कर पाये तो देश की विकास की कल्पना अछुती ही रह जायेगी। अतः विभिन्न बिन्दुओं में शोधकर्ता ने बाल मजदूरों की समस्याओं के परिणामों पर ध्यान केन्द्रित किया।

बाल मजदूरी के परिणाम :–

क्र.	परिणाम	प्रतिशत
1.	स्वास्थ्य की समस्या	58
2.	शिक्षा की समस्या	12
3.	मनोरंजन की समस्या	10
4.	मालिकों से प्रताड़ना	15
5.	भावनात्मक प्रोत्साहन न मिलना	5

वरियता के आधार पर प्राप्त ऑकड़े यह बताते हैं कि 58 प्रतिशत बच्चे यह मानते हैं कि उनके मजदूरी करने से उनके स्वयं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ा, जैसे शरीर कमजोर होना, ऑखों सें कम दिखना, शरीर में इन्फेक्शन, आदि। वहीं पर 12 प्रतिशत बाल मजदूर ऐसा मानते हैं, सुबह से रात्रि तक कार्य करते रहने के कारण वे स्कूल या अन्य शिक्षा के कार्य नहीं कर पाते, जबकि 10 प्रतिशत बालक समय की कमी के कारण मनोरंजन यानी खेलकूद, टी.वी., सिनेमा या घूम–फिर नहीं पाते। अतः इस बात उन्हें बड़ा पछतावा है। साथ ही 15 प्रतिशत बाल मजदूर अपने मालिकों के द्वारा उनको प्रताड़ित करने की समस्या से ग्रसित है, जबकि 5 प्रतिशत बाल मजदूर अपने परिवार के सदस्यों या मालिकों एवं समाज से भावनात्मक लगाव न मिल पाने से दुखी व परेशान रहते हैं।

निष्कर्ष :– उपर्युक्त शोध के पश्चात शोधकर्ता ने अन्ततः यह पाया कि बाल मजदूरी की समस्या अन्ततः घूम फिरकर आर्थिक तंगी के कारण ही किशोर को उक्त कार्य हेतु प्रेरित करती है, जिसका परिणाम निष्कर्षतः बाल–मन के स्वस्थ विकास व उसके भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं है। अतः सरकार को अपने प्रयासों में और तेजी लाते हुए इसके जड़ तक पहुॅच कर सामाजिक संगठनों के सहयोग से इसे जड़ सहित खत्म करना चाहिए।

बाल श्रम के उन्मूलन के उपाय :–शोधकर्ता ने जो क्षेत्र में कार्य किया उस आधार पर प्राप्त समस्याओं, परिणामों को ध्यान में रखकर बाल श्रम उन्मूलन हेतु निम्न सुझाव प्रस्तुत कियेः–

1. बाल शिक्षा को कानूनन अनिवार्य एवं कठोर बनाये।
2. गरीब माता–पिता के परिवार को भरण–पोषण की गारंटी दी जाये।
3. बालकों से श्रम कार्य कराने वाले नियोक्ताओं को कठोर से कठोर दण्ड दिया जाये।
4. श्रमिकों को बिना गारंटी कर्ज देने के लिए ग्रामीण एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों को स्पष्ट आदेश जारी किया जाये।
5. स्वयंसेवी जागरूक संस्था को इस हेतु विशेष अभियान चलाना चाहिए ताकि घर–घर बाल मजदूरी के दुष्परिणाम को समझकर उसके उन्मूलन हेतु जागृति आये।

''बाल मजदूरी समस्या मुक्ति; गौर करें ये अपनी युक्ति।।
आज के बच्चे; कल के भविष्य ।
भूखा, नंगा और लाचारी; न हो इनके दृश्य ।।
बाल मजूरी से मुक्ति पाने; चले जोर पर यह अभियान।
तकनिकी शिक्षा, अक्षर ज्ञान, हर बच्चे को मुफ्त प्रदान।।
हर बच्चे अपने संतान; न कोई छिने इनके मुस्कान।
देश और समाज का उत्थान; हर बच्चे का सम्मान।।''

सन्दर्भ ग्रन्थ :–

अग्रवाल डॉ. एस.एम.–''भारत में सामाजिक बुराईयॉ''
दुबे डॉ. सरला–''समाज में व्याप्त व्याधियॉ''
सिंह डॉ दबा–सामाजिक परवर्तिन के विविध आयाम
अन्य पत्र–पत्रिका–रिचर्स जनरल एवं लोकप्रिय समाचार पत्र